

प्रपत्र छः(नियम 6 का उपनियम 6 देखिये)
भू- विकास परमिट के अनुमोदन का प्रपत्र

प्रेषक,

नियत प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र,
शाहजहाँपुर।

सेवा में,

श्री विनायक अग्रवाल व श्री रचित अग्रवाल
पुत्रगण स्व० विपिन अग्रवाल एवं अन्य पार्टनरगण
निवासी मोहल्ला-बाजार मार्ग केम्ब्रिज कॉन्वेंट,
तहसील पुवार्यो जिला शाहजहाँपुर।

महोदय,


ग्राम-नगरिया बहाव, परगना व तहसील सदर, जिला शाहजहाँपुर स्थित कॉलोनी खसरा नं०-64, 67, 69 एवं 70 कुल रकवा 34900.00 वर्गमीटर भूमि में आवासीय कॉलोनी के विकास के लिये कार्यालय विनियमित क्षेत्र, शाहजहाँपुर में प्रस्तुत विन्यास मानचित्र पत्रावली संख्या-166/2024-25, दिनांक 17.09.2024 के साथ संलग्न विन्यास मानचित्र को निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- 1- यह अनुमति,स्वीकृति के दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि के लिये वैध है। इस अवधि में प्रस्तावित कालोनी के अन्दर प्राविधानित सभी विकास कार्यों को पूर्ण कराना होगा एवं विकास कार्य प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप डः पर प्रस्तुत करनी होगी।
- 2- स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही स्थल पर विकास एवं निर्माण कार्य अनुमन्य होगा। स्वीकृति के विपरीत किसी भी प्रकार का विकास एवं निर्माण अनुमन्य नहीं है।स्वीकृति के विपरीत विकास एवं निर्माण कार्य करने पर यह स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
- 3- यदि किसी भी समय यह पाया गया कि यह स्वीकृति आपने किसी तथ्य को छुपाकर,कपटपूर्ण तरीके से प्राप्त कर ली है,तो इस स्वीकृति को निरस्त किया जा सकेगा।
- 4- विन्यास मानचित्र, जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है,केवल वही प्रयोग अनुमन्य होगा।
- 5- स्वामित्व सिद्ध करने के लिये उपविभाजन मानचित्र का उपयोग किसी भी न्यायालय में वैध नहीं समझा जायेगा अर्थात मानचित्र की स्वीकृति संस्था के स्वामित्व का प्रमाण नहीं है।
- 6- सडक,सरकारी भूमि अथवा सर्विस लेन पर किसी प्रकार की कोई निर्माण सामग्री एकत्रित नहीं की जायेगी।
- 7- उ०प्र०राज्य वन नीति 1998 के अनुसार,प्रस्तावित कालोनी में न्यूनतम 125 वृक्ष लगवाना अनिवार्य होगा।
- 8- विकास एवं निर्माण कार्य के दौरान,विन्यास मानचित्र की स्वीकृति से सम्बन्धित विवरण की पट्टिका जिसमें विन्यास मानचित्र स्वीकृति सं० एवं स्वीकृति के दिनांक का स्पष्ट उल्लेख किया जाये,स्थल के बाहर स्थापित कराना अनिवार्य होगा एवं स्थल पर स्वीकृत विन्यास मानचित्र की एक प्रति भी अनिवार्य रूप से रखना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा जाँच की जा सके।
- 9- समस्त निर्माण एवं विकास कार्य लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप सम्यक रूप से अर्हता प्राप्त वास्तुविद/अभियन्ता के तकनीकी पर्यवेक्षण में भूकम्प रोधी मानक एवं अनुदेशों के अनुसार कराना होगा। निर्माण एवं विकास कार्य के दौरान, कोई अप्रिय घटना घटित होने की स्थिति में,इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- 10- प्रस्तावित विन्यास मानचित्र को आपके अनुबन्ध पत्र एवं बन्धपत्र में उल्लिखित विवरण के आधार पर स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

निरन्तर.....2

- 11- प्रस्तावित विन्यास मानचित्र में प्रदर्शित सार्वजनिक उपयोग की व्यवस्था यथा-पार्क,सड़क व नाली आदि के स्थल पर स्वामित्व सौंपने हेतु सक्षम अभिकरण को नियमानुसार हस्तान्तरण की कार्यवाही की जायेगी तथा विकास के लिये निर्धारित शुल्क भी अदा करना होगा। अनुबन्ध पत्र एवं बन्ध पत्र के विपरीत कृत्य की स्थिति में स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
- 12- अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, शाहजहाँपुर के पत्रांक-3151/7सी, दिनांक-24.09.2024 में वर्णित शर्तों के अधीन कॉलोनी विकास कार्य कराया जायेगा। साथ ही मुख्य मार्ग के सम्बन्ध में परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग, बरेली से आर0ओ0डब्लू0 निर्धारित होने के बाद सड़क के भूखण्डों का क्रय-विक्रय किया जायेगा। इस सम्बन्ध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र दिनांक-11.11.2024 में वर्णित तथ्यों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
- 13- आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र दिनांक-11.11.2024 में वर्णित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
- 14- भूखण्डों का विक्रय स्वीकृत विन्यास मानचित्र के अनुसार ही किया जायेगा। विक्रीत भूखण्डों पर भवन निर्माण प्रारम्भ कराने से पूर्व पृथक-पृथक भवनों के मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा। विषयगत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी विषय का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। स्वामित्व सम्बन्धी विवाद होने की दशा में,स्वीकृत मानचित्र सक्षम न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा।
- 15- प्रस्तुत विन्यास मानचित्र में प्राविधानित पहुँच मार्ग केवल मानचित्र में दर्शित भूखण्डों के लिये ही मान्य होगा एवं इस विन्यास मानचित्र का भाग रहेगा।
- 16- प्रस्तावित कालोनी में रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
- 17- आवेदकगण को बाह्य विकास कार्य यथा-सीवर लाइन/जल निकासी की व्यवस्था स्वयं अपने व्यय पर करानी होगी।

संलग्नक-स्वीकृत मानचित्र।
दिनांक-


नगर मजिस्ट्रेट/
नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र
निबन्ध प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र
शाहजहाँपुर।